213

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

ए0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4089–एक/2016 – विरूद्ध – आदेश दिनॉक 6–12–2016 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी सागर – प्रकरण कमांक 31 अ–67/2015–16

जयकुमार यादव पुत्र माखन यादव
निवासी मुहाल नं. 2 सादर बाजार
सागर, तहसील एंव जिला सागर ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री अनिल चौबे)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री राजेश त्रिवेदी)

आ दे श

(आज दिनॉक 14–2–2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण कमांक 31 अ–67/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 6–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि खनिज निरीक्षक सागर ने अनुविभागीय अधिकारी, सागर को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक व्दारा मौजा गढोली स्थित भूमि खसरा नंबर 108/1 रकबा 0.010 हैक्टर (600 घनमीटर) में पत्थर बोल्डर का अवैध उत्खनन किया है जिसका बाजार मूल्य 90,000/– रूपये है एंव इस पर अर्थदण्ड की राशि 3,60,000/– अधिरोपित होती है जो की जावे। अनुविभागीय अधिकारी सागर ने प्रकरण कमांक 31 अ–67/2015–16 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को कारण बताओ नोटिस

जारी किया। आवेदक ने बचाव में लेखी उत्तर प्रस्तुत किया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी सागर ने आदेश दिनांक 6-12-2016 पारित किया तथा आवेदक पर अवैध उत्खनन् करना मानकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247 (7) के अंतर्गत 600 घनमीटर पत्थर/बोल्डर का अवैध उत्खनन मानकर 90,000/- रूपये बाजार मूल्य निर्धारित करते हुये इस राशि की चारगुणा अर्थदण्ड की राशि 3,60,000/- अधिरोपित कर वसूली के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण कमांक 31 अ-67/2015-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि खनिज निरीक्षक ने प्रतिवेदन दिनांक 16-2-16 प्रस्तुत कर बताया है कि आवेदक ने मौजा गढौली स्थित भूमि खसरा नंबर 108/1 रकबा 0.010 हैक्टर से (600 घनमीटर) पत्थर/बोल्डर का अवैध उत्खनन किया है जिसकी बाजारू कीमत 90,000/-रू. है और इस नब्बे हजार रूपये के उत्खनन् को अर्थदण्ड के रूप में चार गुणा करके तीन लाख साठ हजार रू. वसूली के आदेश दिये जॉच। कारण बताओ नोटिस दिनॉक 18-2-16 जारी होने के वाद आवेदक ने लेखी उत्तर दिनांक 11-5-16 प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी को बताया है कि जब उसके व्दारा लगाये जा रहे केशर को विद्युत ही उचित दाव के कनैशन की नहीं मिली है अवैध उत्खनन का आरोप गलत है। केशर के पास जो पत्थर पड़े हैं वह सिरोजा खदान के लाये गये पत्थर हैं। खसरा नंबर 33 में खुदी डबरी छोटी तलैया है जो कृषि कार्य हेतु पानी के एकत्रीकरण के लिये खोदी गई है। आवेदक ने यह भी बताया है कि उसके व्दारा कोई अवैध उत्खनन नहीं किया है अपितु बहादुर यादव झूॅठी शिकायतें कर रहा है।

शिकायतकर्ता बहादुर सिंह यादव के आवेदन में वर्णित तथ्य एंव आवेदक व्दारा कारण बताओ नोटिस के बचाव में प्रस्तुत लेखी उत्तर के तथ्यों के सम्बंध में अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण कमांक 31 अ-67/ 2015-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों

का न तो पुष्टिकरण कराया है और न ही स्वयं् स्थल निरीक्षण किया है। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनॉक 6-12-16 खनिज निरीक्षक सागर के प्रतिवेदन पर से पारित किया गया है जिसके कारण ऐसा आदेश दूषित प्रक्रिया पर आधारित है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी सागर ने शासन पक्ष की साक्ष्य अंकित की है। साक्षी पॅचू पुत्र चेतु अहिरवार ने बताया है कि खनिज निरीक्षक एंव पटवारी मौके पर गये थे । मेरे पंचनामा पर हस्ताक्षर कराये थे। अवैध उत्खनन फोर लाइन के कर्मचारियों व्दारा किया गया है जयकुमार व्दारा नहीं किया गया। हलका पटवारी नितिन यादव ने कथनों में उत्खनन के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया है। स्पष्ट है कि शासन पक्ष की साक्ष्य के कथनों से यह प्रमाणित नहीं हो सका है कि आवेदक ने ही उपरोक्त आये तथ्यों अनुसार पत्थर/बोल्डर अवैध उत्खनन किया है इसके विपरीत आवेदक यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि फोर लेन निर्माण के समय निर्माण वालों ने खुदाई की है । इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदक के विरुद्व अवैध उत्खनन करना मानकर उस पर 90000/- रू. का अवैध उत्खनन करना तथा चौगुणी राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित करना न्याय की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सागर व्दारा प्रकरण कमांक 31 अ-67/15-16 में पारित आदेश दिनांक 6-12-2016 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सागर व्दारा प्रकरण कमांक 31 अ-67/15-16 में पारित आदेश दिनांक 6-12-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर